उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-2

संख्याः- 22/16/92-का-2/1995

लखनऊः दिनांक 8 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना
प्रकीर्ण

रिठ याचिका सं0 631/94 अशोक कुमार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य में दिनांक 4-9-1995 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने उ0प्र0 लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 उ0प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-2 को निरस्त कर दिया है और यह निर्देश दिए हैं कि उ0प्र0 राज्य में 1995-86 के शैक्षणिक सत्र मे केन्द्र सरकार के मेमोरेन्डम दिनांक 8-9-1993 मे निर्धारित क्रीमिलेयर का अनुसरण किया जायेगा।

अतएव उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 उ0प्र0 अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की धारा-13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो को निम्नवत् संशोधित करते हैं और यह भी निर्देश देते हैं कि अनुसूची जो केन्द्र सरकार के मेमोरेन्डम दिनांक 8-9-1993 जैसा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति मे लागू हो सके, शिक्षण संस्थाओं के शैक्षणिक सत्र 1995-96 के प्रवेश मे भी लागू समझी जायेगी।

संशोधन

उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची दो के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची दो रख दी जाएगी, अर्थातः-

अनुसूची-दो

(धारा 3(1) देखिए)

<u>एक संवैधानिक पद</u>

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री.....

(क) भारत के राष्ट्रपति

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश,

(घ) संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और

सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक,

(ड.) इसी प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति।

दो-सेवा श्रेणीः-

(क) अखिल भारतीय केन्द्रीय और राज्य सेवाओं (सीधी भर्ती) के समूह क/श्रेणी एक अधिकारीः-

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्रीः-

(क) जिनके मात पिता दोनों समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/ श्रेणी एक का अधिकारी हो,

(ग) जिनके माता दोनो समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हो किन्तु उनमें से किसी एक की मृत्यृ हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय,

(घ) जिनके माता पिता में से कोई भी समूह क/श्रेणी एक का अधिकारी हो और ऐसे माता पिता की मृत्यृ हो जाय या वह स्थाई अक्षमता सेग्रसित हो जाय और ऐसी मृत्यृ या अक्षमता के पूर्व उनमे किसी अन्तराष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधिं के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो, और

(ड.) जिनके माता पिता दोनो समूह क/श्रेणी एक के अधिकारी हो और ऐसे माता पिता दोनों की मृत्यृ हो जाये या वे स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाएं और दोनों की ऐसी मृत्यु का अक्षमता के पूर्व उसे किसी एक को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ हो,

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाएं (सीधी भर्ती) समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री

(क) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हों,

(ख) जिनके माता पिता में से केवल पिता समूह ख/श्रेणी दो का अधिकारी हो और वह चालीस वर्ष या इसके पूर्व की आयु में समूह क/श्रेणी एक में आ जायें।

(ग) जिनके माता पिता दोनों समूह ख/श्रेणी दो के अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यृ हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय और उसमे से किसी एक को ऐसी मृत्यृ या स्थायी अक्षमता के पूर्व किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त

राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि में पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए नियोजन का लाभ प्राप्त हुआ है।

(घ) जिनके माता पिता में से पिता समूह क/श्रेणी एक का (सीधी भर्ती) या चालीस वर्ष के पूर्व पदोन्नति अधिकारी हो और माता समूह ख/श्रेणी दो की अधिकारी हो और पिता की मृत्यु हो जाय या वह स्थायी अक्षमता से ग्रसित हो जाय।

स्पष्टीकरण- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि पद ''स्थायी अक्षमता का'' तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके कारण कोई अधिकारी सेवा के बाहर हो जाय।

(ग) <u>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारीः-</u>

ऊपर उपश्रेणी (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड यथावश्यक परिवर्तन सहित उन अधिकारियों पर लागू होगे जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैको,बीमा,संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि में समकक्ष या तुलनीय पदों पर और निजी नियोजन के अधीन भी समकक्ष या तुलनीय पदों और स्थानों पर हों। इन संस्थाओं में समकक्ष या तुलनीय आधार पर पदों के मूल्यांकन के लम्बित रहते नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड इन संस्थाओं के अधिकारियों पर लागू होगा।

<u>तीन- अर्द्धसैनिक बलों को सम्मिलित करते हुए सशस्त्र बल (सिविल पदों की धारण करने वाले व्यक्ति सम्मिलित नही है।)</u>

ऐसे माता पिता, जिनमें से कोई एक या दोनों सेना में कर्नल और उसके ऊपर के पद पर हों या नौ सेना, वायु सेना और अर्द्ध सैनिक बलों या उसके समकक्ष पदों पर हों के पुत्र या पुत्री,

स्पष्टीकरणः- इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए पिता और माता के कर्नल से नीचे के सेवा पदों को एक साथ जोड़ा नहीं जाएगा।

<u>चार----व्यावसायिक वर्ग और व्यापार धन्धे और उद्योग में लगे व्यक्ति नीचे श्रेणी छः में विनिर्निष्ट मानदण्ड निम्न लिखित पर लागू होंगे</u>

(क) डाक्टर, वकील, चार्टेड एकाउन्टेन्ट, आयकर, परामर्शदाता, दन्त चिकित्सक, अभियन्ता वास्तुविद,फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी, लेखक, नाटककार, खिलाड़ी, खेलकूद, व्यवसायी, मीडिया व्यवसायी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में लगे व्यक्ति, और।

(ख) धन्धे व्यापार और उद्योग में लगे व्यक्ति।

<u>स्पष्टीकरणः-</u> (एक) जहां पिता किसी व्यवसाय में हो और माता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न श्रेणी के नियोजन में हो, वहां नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल पिता की आय के आधार पर लागू होगा और माता की आय इसके साथ नही जोड़ी जाएगी।

(दो) जहां माता किसी व्यवसाय में हो और पिता समूह ख/श्रेणी दो या निम्न

श्रेणी के नियोजन में हो, तो नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड केवल माता की आय के आधार पर लागू होगा और पिता की आय उसके साथ नहीं जोड़ी जाएगी।

पांच-सम्पत्ति स्वामी

(क) कृषि भूमि जोत

ऐसे माता-पिता जिसमें से कोई एक अपने परिवार के साथ जिसमें वह स्वयं उसकी पत्नी/पति और नाबालिग बच्चे सम्मिलित है, निम्नलिखित भूमि का स्वामी हो, के पुत्र या पुत्री--

(क) केवल सिंचित भूमि जो कानून अधिकतम जोत सीमा के पच्चासी प्रतिशत बराबर या उससे अधिक हो, या

(ख) सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार की भूमि हो, जहां सिंचित भूमि (जो किसी सामान्य डिनोमिनेटर के अधीन किसी एक प्रकार में लायी गई हों) सिंचित भूमि की साविधिक कानूनी अधिकतम जोत सीमा के चालीस प्रतिशत से अधिक है, वहां असिंचित भूमि विद्यमान परिवर्तन फार्मूला के आधार पर सिंचित भूमि में परिवर्तित कर दी जाएगी और इस प्रकार संगणित सिंचित क्षेत्र को सिचित भूमि के वास्तविक क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आई सिंचित भूमि के अनुसार कुल क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए कानूनी अधिकतम जोत सीमा के अस्सी प्रतिशत के बराबर या अधिक हो।

स्पष्टीकरण-- पद ''कानूनी अधिकतम जोत सीमा'' और ''परिर्वतन फार्मूला'' का अर्थ उस क्षेत्र का अधिकतम कृषि जोत सीमा से सम्बन्धित विधि के अनुसार लगाया जाएगा जिसमें प्रश्नगत भूमि स्थित हो।

(ख) पौधा रोपण---

(एक) काफी, चाय,रबर, आदि---

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा,

(दो) आम,निंबवंश,सेब आदि----

ऐसे पौधा रोपण की भूमि कृषि भूमि जोत समझी जाएगी और ऊपर उपश्रेणी (क) के अधीन विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

(ग) शहरी क्षेत्रों या शहरी समूहों में खाली भूमि या भवन

नीचे श्रेणी छः में विनिर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।

स्पष्टीकरण-- इस उप श्रेणी के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि भवन का प्रयोग आवासीय, वाणिज्यिक, या औद्योगिक प्रयोजनो या इस प्रकार के दो या अधिक प्रयोजनो के लिए किया जा सकता है।

छः-- आय या सम्पत्ति मानदण्ड

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री--

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 मे यथा / विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ के अपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

<u>स्पष्टीकरण--</u> इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि

(एक) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जाएगा।

(दो) रूपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जाएगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से

कालिका प्रसाद

सचिव